



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

Office Order No. 79 of 2023

Sub: Procedure to be followed while submission of APARs for RBSSS/RBSS Officers/Staff posted in the Offices/Cells of CRB & CEO, Board Members, DGs, Secretary/RB, AMs and PEDs.

With the approval of the Competent Authority, the following procedure has been laid down for submission of APARs of RBSSS/RBSS Officers/Staff posted in the Offices/Cells of CRB & CEO, Board Members, DGs, Secretary/Railway Board, AMs and PEDs:

(i) Posting Order of the senior most RBSSS Officer with CRB & CEO, Board Members, DGs, Secretary, AMs and PEDs shall continue to be issued as per extant practice being followed by ERB-I and their APARs shall be written by the officer with whom he/she has been attached with, in the capacity of Reporting/Reviewing and Accepting Officer;

(ii) Posting Orders of the other junior level RBSSS/ RBSS officers/staff shall be issued by the administrative unit concerned by posting them in the respective cells of CRB&CEO/Board Members/DGs/Secretary (RB), AMs/PEDs. Such junior Officers/Staff shall submit their APARs to the senior most RBSSS Officer (as in (i) above), who will be the single point Reporting/Reviewing/Accepting Authority.

2. All the concerned officers/staff posted in Offices/Cells of CRB & CEO, Board Members, DGs, Secretary (RB), AMs and PEDs are required to submit their APARs as per the above guidelines.

(T. Srinivas)

Joint Secretary (Railway Board)

Tele/Fax No. 011-47845551

E-Mail ID: t.srinivas1@gov.in

No. 2023/O&M/2/2

Dated: 07/12/2023

To:

All Officers/Staff posted in Offices/Cells of CRB & CEO, Board Members, DGs, Secretary(RB), AMs and PEDs.

Copy for information to: -

1. CRB & CEO, Member (O&BD), Member (Finance), Member (Infra), Member (T&RS), Secy./Rly Board, DG(HR), DG (RHS), DG (RPF), DG (Safety).
2. All AMs and PEDs in Railway Board.
3. EDPG/MR, EDPG/MoSR(D) & EDPG/MoSR(J)

Copy for necessary action to:

ERB-I, ERB-II and ERB-V Branches, for issuing/modifying posting orders in compliance with above.

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 79

विषय: अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात आरबीएसएसएस/आरबीएसएस अधिकारी/कर्मचारियों की एपीएआर प्रस्तुत करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात आरबीएसएसएस/आरबीएसएस के अधिकारी/कर्मचारियों की एपीएआर प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:


(i) अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के साथ तैनात वरिष्ठतम आरबीएसएसएस अधिकारियों के तैनाती आदेश ईआरबी-I द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा पद्धति के अनुसार ही जारी किए जाएंगे और उनकी एपीएआर रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण तथा स्वीकृति अधिकारी के रूप में उस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी जिसके साथ वह संलग्न है।

(ii) आरबीएसएसएस/आरबीएसएस के अन्य कनिष्ठ स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के तैनाती आदेश संबंधित प्रशासनिक इकाई द्वारा अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड/बोर्ड सदस्यों/ महानिदेशकों/सचिव(आरबी)/अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों के संबंधित कार्यालयों/सेलों में तैनात करते हुए जारी किए जाएंगे। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपनी एपीएआर वरिष्ठतम आरबीएसएसएस अधिकारी (उपरोक्त i में उल्लिखित) को प्रस्तुत करेंगे जो अकेले ही रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण/स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

2. अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी एपीएआर प्रस्तुत करेंगे।

सं.2023/ओएंडएम/2/2

दिनांक 07.12.2023


(टी.श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-47845551

ईमेल आईडी: t.srinivaas1@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण, सचिव/रेलवे बोर्ड, महानिदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रे.सु.बल), महानिदेशक(संरक्षा)।
2. रेलवे बोर्ड में सभी अपर सदस्य तथा प्रधान कार्यपालक निदेशक।
3. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाई हेतु:

उपरोक्त के अनुपालन में तैनाती आदेश जारी/आशोधित करने के लिए ईआरबी-I, ईआरबी-II और ईआरबी-V शाखाएं।